अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश :—

1—नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होंगे, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो । परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है ।

2—कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिसमें उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो ।

3—आवेदन पत्र समस्त वॉछित प्रमाण—पत्रों की स्वप्रमणित प्रतियों को संलग्न कर एक ही लिफाफे में प्रेषित किया जाय। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाय ।

4—अपूर्ण, त्रृटिपूर्ण निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप पर तथा अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें निरस्त समझा जाएगा ।

5—विलम्ब से पहुँचने वाले आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंग। डाक विलम्ब का उत्तरदायित्व स्वय अभ्यर्थी का होगा ।

6—आवेदन पत्र में यथास्थान अपना नवीनतम् फोटों अवश्य चिपकाएं ।

7—आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाए तथा लिफाफे पर पतें वाले स्थान के ऊपर बायें कोने पर विज्ञापन संख्या, पद का नाम विषय का नाम वर्ग स्पष्ट शब्दों में अवश्य लिखें ।

8—केवल एक विषय एवं एक वर्ग के लिए केवल एक आवेदन पत्र मान्य होगा । अतः आवेदन पत्र में लिफाफे पर किसी एक विषय के ही पद का उल्लेख होना चाहिए ।

9—शैक्षिक अर्हता के लिए अंकपत्र, प्रमाण—पत्र/स्थायी प्रमाण पत्र अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र दिये गये क्रमानुसार ही यथास्थान संलग्न किया जाय और उनपर संलग्नक संख्या भी अंकित की जाए ।

10—आरक्षित अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ शासनादेशानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर नवीनतम जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा ।

Scanned by CamScanner

11–आवेदन पत्र के साथ प्रेषित किया जाने वाला बैंक ड्राफ्ट सहीं एवं पूर्ण होना चाहिए बैंक ड्राफ्ट के त्रृटिपूर्ण होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा ।

12–अभ्यर्थियों को पात्रता के सम्बन्ध में अभ्यर्थी विज्ञपान को ध्यान से पढ़े यदि पूर्णतः द्वारा अधिकतम पॉच विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है । अभ्यर्थी द्वारा इस हेतु एक घोषण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।

13–आवेदन पत्र में कोई भी प्रविष्ट मात्र अंकित होने से स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि उसके लिए सही व निर्दिष्ट प्रमाण पत्र साथ में संलग्न न किया जाय।

14–आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है ।

15–अभ्यर्थी भरे हुए आवेदन पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट की फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित रखें साथ ही आवेदन पत्र प्रेषित करने के प्रमाण स्वरूप रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट की रसीद को मूलरूप में अपने पास सुरक्षित रखें जिसे वे यथासमय चयन बोर्ड की मॉग पर प्रस्तुत कर सकें ।

16–विज्ञापित पदो के किसी विषय में अर्हता के सम्बन्ध में यदि कोई अभ्यर्थी जानकारी प्राप्त करना चाहे तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद(संस्थाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति यथा शर्ते । विनियमावली, 2009 में वर्णित शैक्षिक अर्हता के अनुसार होगी । जैसी ''परिशिष्ट–''क'' में दी गयी है ।

18–आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि को अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता पूर्ण होनी चाहिए ।

19–साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

20–साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा कोविड–19 प्रोटोकाल का ध्यान रखा जाना अपिरहार्य है ।

Scanned by CamScanner